न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ़बास (अ

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
26-6-19	अन्य पक्ष के अधि० उप० / आवे... द्वारा कार्य स्थगन है। बाद ... दिनांक 28-6-19 को पेश हो। [signature]
28-6-19	अन्य पक्ष के अधि० उप० / वाद वापी खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से घोषित किया गया। पत्रावली अनुसार बाद दाखिल दफ्तर हो। [signature]

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस. किशनगढबास

मुकदमा नं.	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
233/10	14.10.10	
39/13	7.3.13	28.6.19

उनवान

1. दाताराम पुत्र रामस्वरूप————————मृतक
1/1. मम्बोडीराम पत्नी दाताराम
1/2. बस्तीराम पुत्र दाताराम
1/3. बाबुलाल पुत्र दाताराम
1/4. उर्मिला पुत्री दाताराम
2. चांदबाई पुत्री हरना
3. भरपाई पुत्री हरना
4. सरजा पुत्री हरना
5. रमेश पुत्री हरना कोम अहीर निवासी ग्राम कौशलुपर तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:–वादीगण:–

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र हरदयाल
2. औमप्रकाश पुत्र सूरजमान
3. हुकमसिंह पुत्र सूरजमान कोम अहीर निवासी कौशलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:–प्रतिवादीगण:–

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति:– 1.श्री धर्मपाल यादव एड. वादीगण की ओर से।
2.श्री परमानन्द शर्मा एड. प्रतिवादीगण की ओर से।

28.6.19 पर्चा डिक्री

वाद वादीगण बाबात हाल ख0न0 528/0.7500 वाके ग्राम कौशलपुर तहसील किशनगढबास सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगें।

उपखण्ड अधिकारी,
किशनगढबास(अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

अध्यासित द्वारा :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस.

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
233/10	14-10-10	28-6-19
39/13	7-3-13	

उनवान

1- दाताराम पुत्र रामस्वरूप ---- मृतक

1/1-भम्बोडी पत्नी दाताराम

1/2-बस्तीराम पुत्र दाताराम

1/3-बाबूलाल पुत्र दाताराम

1/4-उर्मिला पुत्री दातादाम

2- चांदबाई पुत्री हरना

3- भरपाई पुत्री हरना

4- सरजा पुत्री हरना

5- रमेश पुत्री हरना कोम अहीर निवासी ग्राम कौशलपुर तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर

:-वादीगण

बनाम

1- ताराचन्द पुत्र हरदयाल

2- ओमप्रकाश पुत्र सूरजभान

3- हुकमसिंह पुत्र सूरजभान कोम अहीर निवासी कोशलपुर तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर

:-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति:- 1- श्री धर्मपाल यादव एड. वादीगण की ओर से ।

2- श्री परमानन्द शर्मा एडा. प्रतिवादीगण की ओर से ।

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:- वादीगण ने वाद पेश किया कि साबिक ख. नं. 380मिन, 386मिन रकबा 2बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम कोशलपुर जिनका हाल ख. नं. 528/2-19बिस्वा बना है मिन वादी दाताराम के पिता रामस्वरूप तथा वादीगण 2लगा.5 के पिता हरना दोनों भाईयों की बहिस्से बराबर बराबर खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी थी जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो रहा है।

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

बाबते मुलाहिजा नकल जमाबन्दी सं. 2013से 2016 पेश है।

विवादित आराजी पर रामस्वरूप व हरना अपने जीवनकाल में बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते रहे और उनकी मृत्यु के बाद वादीगण वारिसान काबिज होकर करते आ रहे हैं। विवादित आराजी में वादी दातारा्म का 1/2 भाग व वादीयान 2, 3, 4, 5, का 1/2 भाग है इसी कदर काबिज है।

विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का या उनके बुजुर्गान का कभी किसी प्रकार का कोई सरोकार वो संबंध या कब्जा काश्त न तो था ना अब है प्रतिवादीगण गैर काबिज गैरवास्ता आराजी है। प्रतिवादीगण के बुर्जुगान व प्रतिवादीगण ने भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारीगणों से साज बाज होकर हाल राजस्व रिकार्डस में अपने नाम का गलत तौर पर अंकन कराया है कि जो सरासर मौका व पूर्व रिकार्डस के विपरीत है उक्त गलत इन्द्राज के कायम रहने से वादीगण के हकूकों पर कुठाराघात होता है जिसे वादीगण कलमजन कराकर स्वयं के नाम का अमल कराने के अधिकारी है।

प्रतिवादीगण ने माह सितम्बर सन् 2010 में वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा की तथा अपने नाम खातेदारी का अमल होने की बाबत कहा तो इस गलत अमल का ज्ञान हुआ।प्रतिवादीगण ने अक्टूबर 7-10-10 को इन्द्राज दुरूस्त कराने से इन्कार कर मुन्तकिल करने की धमकी दी। इसलिए वाद दायर करना लाजिम आया।

अत: प्रार्थना है कि वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावे:-

(अ) डिक्री इजराय इस्तकरारहक पारित की जाकर घोषित किया जावे कि वादीगण हाल ख.नं. 528/0.75 वाके ग्राम कोशलपुर के खातेदारान हैं।

(ब) डिक्री दुरूस्ती पारित की जाकर हाल जमाबन्दी से प्रति0 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम का अंकन कराया जावे।

(स) डिक्री इजराय हु.ह.दवामी पारित की जाकर प्रति. को पाबन्द किया जावे।

(द) हर्जा खर्चा मुकदमा का प्रति. से दिलाया जावे।

(य) अन्य सहायता जो बनजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवदीगण ने वादी के वाद को अस्वीकार करते हुये जवाब पेश किया कि गत ख.नं. 380मिन का रकबा 9बीघा 17 बिस्वा जो वादी ने जानबूझकर दर्ज नहीं किया है। उक्त आराजी को वादीगण ने गलत रूप से विवादित बनाया है। वादीगण

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

गैर काबिज गैरवास्ता आराजी है। वादीगण से समस्त तथ्य गलत दर्ज किये हैं। विवादित आराजी पर सदैव से प्रतिवादीगण काबिज काश्त है जो वादीगण व उनके पिता की जानकारी में है। प्रतिवादीगण के पिता काश्तकारी अधि. के आने से पूर्व ही काबिज काश्त रहे हैं। वादीगण का वाद काबिल खारिज है। प्रतिवादीगण शांति पूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण ने दिनांक 7-10-10 कहानी मनघडन्त बनावटी झूठी मिथ्या दर्ज की है। वादी0 को कानूनन वाद दायर करने का अधिकार नहीं है।

वादी ने सभी आवश्यक पक्षकारो को मुकदमा हाजा में पक्षकार नहीं बनाया है। नोन जूवन्डर ऑफ दी पार्टीज के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है वाद काबिज खारिज है। वादीगण व उनके पिता गैर काबिज गैर वास्ता आराजी है किसी भी सूरत में इन्द्राज दुरूस्त कराने के अधिकारी नहीं है।

अत :वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य ली गई। वादीगण ने साक्ष्य में बस्तीराम पुत्र दाताराम पी.डब्लु 1 पेश किया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल मिलानक्षैत्रफल प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सं. 2013-16 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सन् 2006 प्रदर्श 3 पेश किये हैं। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में ताराचन्द पुत्र हरदयाल डी.डब्लु 1 का शपथ पत्र व औमप्रकाश पुत्र सूरजभान डी.डब्लु 2 के शपथ पत्र पेश किये हैं। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल मिलानक्षैत्रफल प्रदर्श 1डी, नकल जमाबन्दी सं. 2029 प्रदर्श2,डी, नकल जमाबन्दी सं. 2029 प्रदर्श 3 डी, नकल जमाबन्दी सं. 2017-20 प्रदर्श 4डी, 5डी. नकल जमाबन्दी सं. 2004 प्रदर्श 6डी, 7डी, नकल जमाबन्दी सं. 2009 प्रदर्श 8डी, 9डी, नकल जमाबन्दी सं. 2011 प्रदर्श 10डी, नकल जमाबन्दी सं. 2004 प्रदर्श 11, 12, 13 डी पेश किये हैं।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि साबिक ख. नं. 380 व 386मिन जिसका हाल ख. नं. 528है ये साबिक नम्बर रामस्वरूप और हरना की 1/2 भाग की खातेदारी की आराजी थी वादीगण रामस्वरूप व हरना के वारिसान हैं प्रतिवादीगण हरदयाल के वारिस है। प्रतिवादीगण ने वक्त सैटलमेंट अपने नाम करवा ली हमारा नाम खतम कर दिया।हमने नकल मिलान क्षैत्रफल साबिक जमाबन्दी पेश की है जिसमें हमारा नाम है। प्रतिवादीगण ने जो रिकार्ड पेश किया हैउसमें भी हमारा नाम है हमें खातेदार घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में जबाबदावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विद्वान वकील वादी ने गल तथ्य रखें है। साबिक ख. नं. 380, 386मि, रकबा कितना था नहीं बताया है और मांग कर रहे हैं

--4--

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)

कि हमारा रकबा 2बीघा 19 बिस्वा था इसलिए हमें दिया जावे हाल ख. नं. 528 है यह 2बीघा 19 बिस्वा है यह कहां से बना है स्पष्ट नहीं किया है यह रकबा इनका कहां से आया है किस प्रकार से इनका है यह कतई स्पष्ट नहीं किया है। सैटमैंट से पूर्व भी हम काबिज खातेदार थे और अब भी हम काबिज खातेदार है। वादीगण के गवाह बस्तीराम ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही खानदान से हैं। ख. नं. 528 विवादित आराजी का मौके पर बंटवाना होना बताया है। बयानों से वादी का दावा नहीं किया है प्रतिवादीगण जोत रहे है इस प्रकार वादी का वाद स्पष्ट नहीं होता है वाद काबिल खारिज है। वकील वादी ने जबाब में कहा कि मैंने दावे के प्लेन्ट में नम्बर अंकित किये हैं अनुतोष में रहगया होगा, गवाह ग्रामीण है कोई पटवारी नहीं है जिसको सम्पूर्ण रकबा व नम्बरान ध्यान हो। प्रतिवादीगण केवल अपना हिस्सा ही तो लेगें मेरे हिस्से को नहीं लेसकते जो दस्तावेज प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गये हैं उनमें मेरा नाम है इसलिए वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है:-

तनकी नं. 1:-

आया आराजी साबिक ख. नं. 380मि. 386मि. रकबा 2बीघा 19 बिस्वा के हाल ख. नं. 528/2-19 वाके ग्राम कौशलपुर रामस्वरूप व हरना बहिस्से बराबर बराबर खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी थी। जिनके नाम साबिक राजस्व रिकार्ड में अंकन हो रहा है ? इस तनकी का भार वादी पर था नकल मिलानक्षेत्रफल प्रदर्श 1 के अवलोकन से साबित है कि हाल ख. नं. 528/2-19साबिक ख. नं. 380मि. /2-06, 386मि. /0-13 से पैमूद हुवा है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2013-16 प्रदर्श 2 के अनुसार साबिक ख. नं. 380/2 रकबा 4-17बिस्वा व 386मि. /1-02बिस्वा रामस्वरूप हरना पिसरान चीमा बहिस्से बराबर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादी ने साबिक ख. नं. 380मि. / 2-06बिस्वा अपना होना कहा है परन्तु मिलानक्षेत्रफल के अनुसार विवादित हाल ख. नं. 528 में साबिक ख. नं. 380/2/4-17बिस्वा का था जिसमें हरना व रामस्वरूप बराबर के हिस्सेदार थे हाल ख. नं. 528 में कौनसे साबिक नं. 380 का रकबा गया है स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा नकल जमाबन्दी सं. 2017-20 पेश की है जिसमें ख. नं. 1360/380/1-05 व 1363/380/1-04 व 386मि. /1-01 हरना वगैरा मज़कूर बहिस्से बराबर अंकन हो रहा है जिससे साबित है कि साबिक खसरा नम्बरान 380, 386 प्रतिवादीगण का भी था। वादी ने अपने वाद में यह कतई स्पष्ट नहीं किया कि साबिक

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)

रिकार्ड के अनुसार उन्हें हाल में कितना रकबा मिला और वह कौनसा रकबा था जो प्रतिवादीगण के नाम कर दिया गया। वादीगण को अपने अभिकथन की पुष्टि में साबिक जमाबन्दीयात तदनुसार पेश कर अपने वाद को साबित करना चाहिये था। वादी द्वारा प्रस्तुत साबिक जमाबन्दी से इस तनकी को सिद्ध करने में वादी असफल रहा है इसलिये यह तनकी विरुद्ध वादी बहक प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं. 2:-

आया विवादित आराजी का 1/2 भाग दाताराम वादी का व 1/2 भाग हरना के वारिसान प्रतिवादीगण नं. 2लगा.5 का है? इस तनकी का भार भी वादीगण पर था यह तथ्य सही है कि रामस्वरूप व हरना दोनों 1/2 भाग 1/2 भाग के खातेदार थे। परन्तु वादीगण द्वारा विवादित रकबा साबिक रिकार्ड अनुसार उनका हो, यह साबित करने में असफल रहे हैं। तनकी नं. 1 साबित नहीं होने के कारण यह तनकी स्वत: विरुद्ध वादीगण जाती है। इसलिए यह तनकी भी विरुद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 3-

आया विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई किसी प्रकार का सरोकार वो संबंध न तो था ना है, प्रतिवादीगण गैर काबिज गैरवास्ता है और उनके नाम का अंकन भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारीयान द्वारा गलत तौर से किया है जिसको कलमजन कराकर वादीगण अपने नाम का अमल कराने के अधिकारी है? इस तनकी का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादीगण ने ऐसा कोई साबिक रिकार्ड पेश नहीं किया जिससे स्पष्ट हो सके कि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा उन्हें साबिक रिकार्ड के अनुसार रकबा नहीं किया गया हो और उनका रकबा प्रतिवादीगण के नाम अंकित कर दिया हो। भू-प्रबन्ध विभाग से पूर्व की जमाबन्दी पेश कर वादीगण को अपने अभिकथन की पुष्टि करनी चाहिये थी। वादीगण द्वारा भू-प्रबन्ध से पूर्व की कोई जमाबन्दी पेश नहीं की जिसकारण वादी इस तनकी को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। यह तनकी भी विरुद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 4:-

आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध हु.इ.दवामी की डिक्री पाने के अधिकारी है? इस तनकी का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादीगण द्वारा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की मौके पर कब्जे काश्त का कोई प्रमाण वादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया। इस तनकी को भी वादीगण सिद्ध करने में असफल रहे हैं। यह तनकी भी विरुद्ध वादीगण तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार किये गये विवेचनानुसार वाद वादीगण सिद्ध

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

नहीं होता है। वादीगण का वाद काबिल खारिज है।

अत: आदेश है कि:-

वाद वादीगणबाबत हाल ख.नं. 528/0.7500 वाके ग्राम कौशलपुर तहसील किशनगढ-बास सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner